

01/10. 7 5/2018

जीर मोहम्मद बनाम जाबू खां

21/10/21

पत्रावली पेश हुई वकील वादी अप. नही  
वकील वादी को रोक - रोक कर 5:30 PM.  
तक आजाज लगवाई गई। वकील वादी या  
उनका कोई प्रतिनिधि अप. नही।

अतः वादी के काद को  
अदम पैरवी अदम हाजरी में धारीज किया  
जाकर पत्रावली को रोकना शुमार होकर नखर  
से काम हो।

उपखण्ड अधिवक्ता  
किशनगढ़ (अजमेर)

